[2021] 5 एस. सी. आर 196

भारत के मुख्य चुनाव आयोग

वी.

एम. आर. विजयभास्कर और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 1767)

06 मई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 32 , 226 , 19 (1) (क), 19 (2)-अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता-उच्च न्यायालय ने कुछ मौखिक टिप्पणियां कीं।

चुनाव के दौरान कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल को लागू करने में विफलता के कारण कोविड-19 के मामलों की संख्या में वर्तमान वृद्धि के लिए चुनाव आयोग-चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए-मौखिक टिप्पणी थी 'चुनाव आयोग कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है और चुनाव आयोग को हत्या के आरोपों के लिए पेश किया जाना चाहिए'-उक्त टिप्पणी हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश का हिस्सा नहीं थी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और टेली मीडिया में रिपोर्ट की गई थी-- चुनाव आयोग ने मीडिया को अदालती कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की; और यह कि मौखिक टिप्पणियां आधारहीन हैं और एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में चुनाव आयोग की छवि को धूमिल कर रही हैं-अपील पर कहा गयाः भाषा न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है जो संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील है-उच्च न्यायालय का सामना एक कोविड-19 के बढ़ते मामलों की स्थिति और एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम सौंपा गया था-उच्च न्यायालय की टिप्पणियां कठोर थीं, इसने देश में कोविड-19 महामारी के लिए ईसी को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं की-इसके बजाय इसका उद्देश्य चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करना था-मोरेसो, मौखिक टिप्पणियां आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं-इस प्रकार, अदालत की कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने के लिए ईसी की प्रार्थना में कोई सार नहीं है।

कलाएँ। 19 (1) (क), 19 (2)-मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग-का महत्व

- आयोजित किया गयाः संविधान मीडिया को रुचि के सभी मामलों पर सूचना देने, आसवन करने और जानकारी देने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है-स्वतंत्रता

भाषण और अभिव्यक्ति का विस्तार न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग तक भी होता है-अदालतों को कानून के तहत महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए सौंपा जाता है जिसका न केवल नागरिकों के अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह भी कि नागरिक कार्यपालिका से किस हद तक जवाबदेही तय कर सकते हैं-इसमें मीडिया की कार्यवाही के बारे में टिप्पणी करने और लिखने की स्वतंत्रता का महत्व निहित है इसके अलावा, मीडिया ने वर्षों से राष्ट्रीय सीमाओं से परे दर्शकों को समाचार, विचारों और विचारों का प्रसार करने के लिए समाचार पत्रों की प्रधानता से इंटरनेट पर संक्रमण किया है-इसमें अदालतों के कामकाज के बारे में रिपोर्ट की गई जानकारी भी शामिल होगी।

न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग से मीडिया।

न्यायपालिका:

और जवाबदेही-ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक खुली अदालत प्रणाली लोकतंत्र के काम करने में योगदान देती है। न्यायिक जवाबदेही-सार्वजनिक प्रवचन और मीडिया रिपोर्टिंग-आयोजित: अदालती कार्यवाही सहित मुद्दों और घटनाओं को रिपोर्ट करने और प्रसारित करने के लिए मीडिया के अधिकार का एक हिस्सा हैं

सार्वजनिक क्षेत्र-यह न केवल रिपोर्टिंग पर व्यक्तियों और संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करने का एक पहलू है, बल्कि न्यायपालिका की अखंडता और समग्र रूप से न्याय के कारण को बढ़ाने की प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है।

न्यायिक आचरण-स्वतंत्रता और बाधाएं: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है निष्पक्ष, पक्षपात से मुक्त और सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों से अप्रभावित होना, लेकिन यह न्यायाधीशों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रूपरेखा के भीतर अदालती कार्यवाही करने की स्वतंत्रता को भी मान्यता देता है-न्यायाधीशों को अपने कर्तव्य के पालन में अपने पद की शपथ के प्रति वफादार रहना चाहिए, जिसके लिए उन्हें [2021] 5 एस. सी. आर. के प्रति निष्ठा रखने की आवश्यकता होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान-एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने कार्यों और चूक में जनता के प्रति जवाबदेह हो। न्यायिक संयम और अनुशासन-अभ्यास-आयोजित: न्यायाधीशों की शक्ति बेलगाम नहीं होनी चाहिए और न्यायिक संयम होना चाहिए।

प्रयोग किया गया, किसी भी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करने के लिए कठोर और तीखी भाषा का उपयोग करने से पहले इस न्यायालय को संतुलन बनाना चाहिए उच्च न्यायालयों या निचली अदालतों को अनावश्यक रूप से फटकार लगाने के बीच, ताकि उनके स्वतंत्र कामकाज में बाधा न आए-इस अदालत को भी हस्तक्षेप करना चाहिए जहां न्यायाधीशों ने सीमा का उल्लंघन किया है और न्यायिक औचित्य के मानदंडों का उल्लंघन किया है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. मौखिक टिप्पणी "चुनाव आयोग-चुनाव आयोग वह संस्था है जो कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है और चुनाव आयोग को हत्या के आरोपों के लिए पेश किया जाना चाहिए"

ये आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, और इसलिए, निष्कासन का सवाल ही नहीं उठता है। यह कहना तुच्छ है कि किसी न्यायिक संस्थान की औपचारिक राय उसके निर्णयों और आदेशों के माध्यम से परिलक्षित होती है, न कि सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक टिप्पणियों के माध्यम से। इसलिए, चुनाव आयोग की प्रार्थना में कोई सार नहीं है मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोकना। यह न्यायालय अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक के रूप में खड़ा है। यह स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है

उन मूल्यों के प्रति उत्तरदायी जो एक के रूप में अपने अस्तित्व को उचित ठहराते हैं संवैधानिक संस्था। [पैरा 43] [230-जी-एच; 232-ए-बी]

2.1 अदालतें भौतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में खुली होनी चाहिए।

रूपक भावना। बाल यौन शोषण या वैवाहिक गोपनीयता के मामलों से संबंधित वैवाहिक कार्यवाही जैसे मामलों की एक असाधारण श्रेणी में इन-कैमरा कार्यवाही को छोड़कर, हमारी कानूनी प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि अदालतों में खुली पहुंच मूल्यवान सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

संवैधानिक स्वतंत्रताएँ। एक खुले न्यायालय की अवधारणा की आवश्यकता है

कि अदालती कार्यवाही से संबंधित जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होनी चाहिए।

नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि भारत का मुख्य चुनाव आयोग क्या कहता है। एम. आर. विजयभास्कर

न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान घटित होता है। अदालत में बातचीत उस तरीके को इंगित करती है जिसमें न्यायिक कार्यवाही की संरचना की जाती है। मौखिक तर्क विचारों के खुले आदान-प्रदान पर आधारित होते हैं। यह इस तरह के आदान-प्रदान के माध्यम से है कि कानूनी तर्क हैं परीक्षण और विश्लेषण किया गया। अदालत के समक्ष संबोधित तर्क, विरोधी वकील की प्रतिक्रिया और अदालत द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं -

वे मामले जिन पर नागरिकों को सूचित होने का वैध अधिकार है। एक खुली अदालत की कार्यवाही यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के अधीन है। पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सार्वजनिक जांच महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता उन पर जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। [पैरा 19] [215-डी-जी]

2.2 ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक खुली अदालत प्रणाली लोकतंत्र के कामकाज में योगदान देती है। एक खुली अदालत प्रणाली

यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ कार्य करें। सार्वजनिक जांच प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक

चर्चा और आलोचना एक न्यायाधीश के आचरण पर एक प्रतिबंध के रूप में काम कर सकती है। अदालतों के समक्ष मामले विधायिका की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और

कार्यकारी। एक खुला कोर्ट एक शैक्षिक उद्देश्य भी पूरा करता है। अदालत नागरिकों के लिए यह जानने का एक मंच बन जाती है कि कैसे

कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों को प्रभावित करता है। हालाँकि, भारत में खुली अदालतों के नियम के कुछ अपवाद हैं। [पारस 20-23] [216-B, E-G; 217-A]

मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम। बिहार राज्य (2010) 4 एससीसी 653 [2010] 3 एससीआर 911; नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य [1966] 3 एस. सी. आर. 744; स्वप्निल

त्रिपाठी बनाम. भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) 10 एस. सी. सी. 639

: [2018] 11 एस. सी. आर. 57-संदर्भित

आर वी। समाजवादी श्रमिक मुद्रक, पूर्व महान्यायवादी

[1974] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 801-संदर्भित।

3.1 संविधान मीडिया को सूचना देने, आसवन करने और जानकारी देने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और रुचि के सभी मामलों पर राय। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट करने तक फैली हुई है।

संस्थाएं भी। अदालतों को महत्वपूर्ण [2021] 5 एस. सी. आर. करने का काम सौंपा गया है।

कानून के तहत कार्य करता है। उनके काम का सीधा प्रभाव पड़ता है, न केवल

ऐसा करने की नागरिकों की क्षमता का सीधा संबंध कार्यवाही के दौरान अदालत में क्या होता है, इसके बारे में जानकारी की निर्बाध उपलब्धता से है। इसी पर टिप्पणी करने और लिखने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व है। कार्यवाही। इस सिद्धांत को मीडिया और न्यायिक के बीच संबंधों पर मैड्रिड सिद्धांतों में मान्यता दी गई थी।

स्वतंत्रता। इस सिद्धांत को भारतीय न्यायशास्त्र के भीतर मान्यता प्राप्त है, जहां मीडिया को कुछ सीमाओं के भीतर अदालतों के समक्ष चल रहे मुकदमेबाजी पर रिपोर्ट करने की पूरी स्वतंत्रता है।

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पक्षों के बीच न्याय पटरी से न उतरे। [पारस 24-26] [219-D; 220-B-F]

3.2 पिछले कुछ वर्षों में मीडिया मुद्रित रूप में समाचार पत्रों की प्रधानता से रेडियो में परिवर्तित हो गया है।

प्रसारण, टेलीविजन चैनल और अब, इंटरनेट के लिए

राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैले व्यापक दर्शकों तक समाचार, विचार और विचारों का प्रसार करना। सोशल मीडिया सहित इंटरनेट ने नया रूप ले लिया है और महत्वपूर्ण तरीकों से जानकारी प्रसारित करने के साधनों में क्रांति ला दी है। इस संक्रमण के हर चरण में, नए सवाल उठाए गए हैं कि अदालत की प्रक्रियाएं परिवर्तन के अनुकूल कैसे होंगी, ताकि पक्षों के अधिकार

न्यायालयों के समक्ष और न्याय की प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होती हैं। हालांकि, हालांकि ये वैध चिंताएं हैं, लेकिन वे कभी भी अदालतों के विकास के साथ संलग्न नहीं होने का एक अच्छा पर्याप्त कारण नहीं होना चाहिए।

तकनीक। प्रौद्योगिकी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप धारण किया है।

वर्णन से परे संरचनाएँ। दुनिया इस गति से प्रौद्योगिकी के अनुकूल हो रही है जिसे सूचीबद्ध करना अक्सर मुश्किल होता है, और हमारे कई नागरिक कम उम्र से ही डिजिटल मूल निवासी बन रहे हैं। यह समझ में आता है कि वे समाचारों का सेवन करते समय मीडिया के आधुनिक रूपों, जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की ओर देखेंगे। समझा जा सकता है कि इसमें अदालतों के कामकाज के बारे में जानकारी भी शामिल होगी। इसलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयोग v से मीडिया के नए रूपों को रोकने से हमें कोई फायदा नहीं होगा।

एम. आर. विजयभास्कर

हमारे काम की रिपोर्ट करना। हमारे न्यायालय ने प्रौद्योगिकी के विकास की तीव्र गति और इसे जारी रखने की हमारी आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए अपनी मामूली भूमिका निभाई है। एक नई वास्तविकता को स्वीकार करना उसके अनुकूल होने का सबसे निश्चित तरीका है। हमारे सार्वजनिक संवैधानिक संस्थानों को

शिकायत करने से बेहतर जवाब ढूँढें। [पैरा 27,28] [220-जी; 221-ए-डी, एफ-जी; 222-डी]

एक्सप्रेस अखबार (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ [1959] एस. सी. आर. 12; एल. आई. सी. बनाम। मनुभाई डी. शाह (प्रो.) (1992) 3 एससीसी 637 [1992] 3 एससीआर 595; स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) 10 एस. सी. सी. 239: [2018]

11 एस. सी. आर. 57-संदर्भित

डैनियल स्टेपनियाक, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक पहुँच

न्यायालय की श्रव्य-दृश्य कवरेज और रिकॉर्डिंग

कार्यवाही: सामान्य कानून के लिए प्रभाव

न्यायक्षेत्र '12 विलियम एंड मैरी बिल ऑफ राइट्स जर्नल

791 (2004) – संदर्भित किया गया।

के बीच संबंधों पर मैड्रिड सिद्धांत

मीडिया और न्यायिक स्वतंत्रता <Https: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईसीजे। org / डब्ल्यू. पी.-सामग्री/अपलोड/1994/01/मैड्रिड-सिद्धांत-मीडिया पर-और-न्यायिक-स्वतंत्रता-प्रकाशन-1994 ई. पी. डी. एफ.>; 'अभ्यास मार्गदर्शन: संचार के प्रत्यक्ष पाठ आधारित रूपों (ट्विटर सहित) का उपयोग

निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए न्यायालय '

<HTTPS पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यायपालिका। यूके/डब्ल्यूपी-सामग्री /

अपलोड/जेसीओ/दस्तावेज़/मार्गदर्शन/एलटीबीसी-मार्गदर्शन-निर्णय

2011.पी. डी. एफ.>-संदर्भित।

4.1 जैसा कि यह समझा जाता है कि अदालती कार्यवाही सहित मुद्दों और घटनाओं को रिपोर्ट करने और प्रसारित करने के लिए मीडिया के अधिकार हैं।

जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक हिस्सा हैं, यह संदर्भित करना महत्वपूर्ण है कि यह केवल अधिकारों की रक्षा का एक पहलू नहीं है

रिपोर्टिंग पर व्यक्तियों और संस्थाओं, लेकिन न्यायपालिका की अखंडता और समग्र रूप से न्याय के कारण को बढ़ाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी। [पैरा 29] [222-ई-एफ]

4.2 इन कैमरा कार्यवाही के अपवाद के साथ, ए

न्यायालय एक सार्वजनिक स्थान है। एक खुली अदालत और अपने सभी तरीकों से न्याय का पारदर्शी वितरण, अपने आप में एक अंत है।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी इस प्रयास में एक गतिवर्धक है, लेकिन इस विचार का अग्रदूत नहीं है। मीडिया रिपोर्टिंग ने साथ-साथ काम किया है

लगभग एक शताब्दी के लिए औपचारिक अदालती प्रक्रियाएँ। स्वतंत्रता के बाद, मौलिक संवैधानिक महत्व के मामलों ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक रिपोर्टिंग देखी है-जो न केवल फैसलों की घोषणा पर, बल्कि वकील और न्यायाधीशों की विचित्रताओं पर भी रिपोर्ट करते थे। [पैरा 30,31] [222-एफ-एच; 223-डी-ई]

4.3 प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, रिपोर्टिंग को देखा जाता है

सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रसार करें जो अधिक व्यापक दर्शकों को वास्तविक समय में अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं। यह अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार है जो मीडिया के पास है। यह ओपन कोर्ट का एक आभासी विस्तार है। यह

घटना आशंका का कारण नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक लोकाचार का एक उत्सव है जो अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके न्यायपालिका की अखंडता को बढ़ावा देता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटेन के अपील न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सहित दुनिया भर की कई अदालतें जनता को देखने में सक्षम बनाती हैं।

लाइवस्ट्रीमिंग या अन्य उपयुक्त ओपन एक्सेस पद्धति के माध्यम से कार्यवाही। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में न्याय के वितरण में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया है। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए यह प्रतिगामी होगा कि वह एक ओर कानून के शासन और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दे और दूसरी ओर कार्यवाही की रिपोर्टिंग को रोककर उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के दैनिक कार्यों को मीडिया से उसके सभी रूपों में बचाए। [पैरा 33] [223-एच; 224-ए-डी]

सम्राट वी। बालगंगाधर तिलक, (1908) 10 BOMLR

848 संदर्भित किया गया।

महान्यायवादी v. लेवलर पत्रिका [1979] ए. सी. 440

- संदर्भित किया गया।

5.1 ई. सी. की शिकायत मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित आदेश से उतनी नहीं उठती है, जितनी उससे उठती है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी।

उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है और उसे जवाब देने का अवसर नहीं मिला है।

इस प्रकार, यह न्यायालय भारत का मुख्य चुनाव आयोग V. एम. आर. विजयभास्कर

यह पता लगाने में असमर्थ है कि कार्यवाही में वास्तव में क्या हुआ

स्वतंत्रता का अर्थ है निष्पक्ष, पूर्वाग्रह से मुक्त होना और सत्ता में रहने वालों के कार्यों से अप्रभावित, लेकिन यह भी पहचानता है

न्यायाधीशों को प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों की रूपरेखा के भीतर अदालती कार्यवाही करने की स्वतंत्रता। न्यायाधीशों को अपने कर्तव्य के पालन में निष्ठावान रहना चाहिए

उनके पद की शपथ, जिसके लिए उन्हें संविधान के प्रति निष्ठा रखने की आवश्यकता होती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने कार्यों (और चूक) में जनता के प्रति जवाबदेह हो। [पैरा 34] [224-जी-एच; 225-ए]

5.3 जिस तरह से न्यायिक कार्यवाही संचालित की जाती है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में, वह प्रत्येक न्यायाधीश और न्यायाधीश के लिए अद्वितीय है।

न्याय के वितरण में इसका बहुत महत्व है। मौखिक सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाए गए मुद्दे या की गई टिप्पणियां न केवल मामले पर निर्णय लेने वाले न्यायाधीशों को स्पष्टता प्रदान करती हैं, बल्कि वकीलों को विचारों की सहजता पर आधारित रचनात्मकता की भावना के साथ अपने तर्कों को विकसित करने का भी अवसर देती हैं। कई बार, न्यायाधीश जवाब मांगने के लिए वकील के साथ शैतान के वकील की भूमिका निभाते हैं जो मामले की समग्र समझ में सहायता करते हैं और उनके सामने दिए गए तर्कों की ताकत का परीक्षण करते हैं। यही वह जगह है जहाँ वकालत की वास्तविक कला खेल में आती है। न्यायालय के आदेश या निर्णय को प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया और विरोधी पक्षों की प्रस्तुतियों पर न्यायाधीश के दिमाग के अनुप्रयोग का संकेत देना चाहिए। [पैरा 36] [225-बी-डी] [2021] 5 एस. सी. आर.

5.4 न्यायिक पृष्ठभूमि की विविधता निर्णयों में बहुभाषिकता लाती है और इसने सात से अधिक वर्षों से हमारे न्यायशास्त्र को समृद्ध किया है।

आजादी के दशकों बाद। प्रत्येक न्यायाधीश के लिए अंतर्निहित मानवता उन्हें पूर्ण न्याय करने के लिए कानून की भाषा को पार करने की अनुमति देती है। न्याय करने के प्रयास में और न्यायालय में एक खुले विचार-विमर्श के दौरान, प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और टिप्पणियाँ की जा सकती हैं ताकि कानून के आधार पर एक स्वीकार्य परिणाम पर पहुंचने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके लेकिन जो न्याय के अनुरूप हो। सुनवाई के दौरान अवलोकन एक निर्णय या बाध्यकारी निर्णय नहीं है। वे सबसे अच्छे हैं संभावित दृष्टिकोण, जिन पर संघर्ष में पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दृष्टिकोण न्यायाधीश को अंतिम परिणाम पर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। विचारों, दृष्टिकोण और सूत्रीकरण का यह आदान-प्रदान एक ऐसे समाधान की दिशा में विकसित होने का एक हिस्सा है जो कानून के अनुसार न्याय के अनुरूप हो। बेंच से विचारों का आदान-प्रदान खुले और पारदर्शी निर्णय की प्रक्रिया के लिए आंतरिक है। न्यायाधीशों के दिमाग का खुलासा विरोधी पक्षों को उन्हें अपने दृष्टिकोण के लिए मनाने में सक्षम बनाता है। यदि इस अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाना था

निर्णय लेने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। [पैरा 37] [225-डी-जी]

5.5 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना और न्यायालय में न्यायाधीशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना एक कर्तव्य है।

स्पेक्ट्रम का अंत। स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह है कि न्यायाधीशों की शक्ति बेलगाम नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करने के लिए कठोर और तीखी भाषा का उपयोग करने से पहले न्यायिक संयम का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों छोरों को संतुलित करने में, उच्च न्यायालयों की भूमिका विशेष रूप से प्रासंगिक है। इस न्यायालय को उच्च न्यायालयों या निचली अदालतों को अनावश्यक रूप से फटकार लगाने के बीच संतुलन बनाना चाहिए, ताकि उनके स्वतंत्र कामकाज में बाधा न आए। इस अदालत को भी हस्तक्षेप करना चाहिए जहां न्यायाधीशों ने सीमा पार कर दी है और न्यायिक औचित्य के मानदंडों का उल्लंघन किया। [पारस 38,39]

[228 - सी-डी; 229-सी]

6.1 इस न्यायालय को दो स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरणों के अधिकारों को संतुलित करने का काम सौंपा गया है। एक ओर मद्रास उच्च न्यायालय है, जो एक संवैधानिक न्यायालय है और जिसे इस देश के न्यायिक ढांचे में उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालयों के रूप में और भारत के प्रमुख चुनाव आयोग के रूप में एक आंतरिक भूमिका निभाते हैं।

एम. आर. विजयभास्कर

अनुच्छेद 226 (और कुछ मामलों में मूल नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के रूप में) के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने में पहली बार अदालतें। वे अक्सर उन नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होते हैं जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उच्च न्यायालय लगातार अपने अधिकार क्षेत्र में जमीनी वास्तविकताओं के संपर्क में रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, देश भर के उच्च न्यायालयों ने प्रबंधन में सराहनीय दूरदर्शिता दिखाई है

सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जो मानवता को डूबने का खतरा है। जब वे वास्तविकता का सामना करते हैं तो उनकी पीड़ा को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर ईसी है, ए संवैधानिक प्राधिकरण को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। ई. सी. ने हमारे संचालन की सुविधा प्रदान की है

सात दशकों से अधिक समय तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करके और उनके आसपास के आचरण को विनियमित करके संवैधानिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए इसकी स्वतंत्रता और अखंडता आवश्यक है। इस जिम्मेदारी में शक्तियाँ, कर्तव्य और असंख्य कार्य शामिल हैं जो आवधिक अभ्यास के संचालन के लिए आवश्यक हैं।

हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थानों में जीवन की सांस लेने के लिए।

[पैरा 40] [229-डी-एच]

6.2 उच्च न्यायालय को कोविड-19 के बढ़ते मामलों की स्थिति का सामना करना पड़ा और एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में इसे सौंपा गया था

नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना। उच्च न्यायालय की टिप्पणी कठोर थी। रूपक अनुचित है। यदि उच्च न्यायालय ने वास्तव में मौखिक टिप्पणियां की हैं जिनका संकेत दिया गया है-तो उसने देश में कोविड-19 महामारी के लिए निर्वाचन आयोग को दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय इसका इरादा चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करना था। [पैरा 41] [230-ए-सी]

6.3 न्यायाधीशों को खुले न्यायालय में ऑफ-द-कफ टिप्पणियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जो अतिसंवेदनशील हो सकते हैं

गलत व्याख्या पर जोर दिया जाता है। भाषा, दोनों बेंच पर

और निर्णयों में, न्यायिक औचित्य के अनुरूप होना चाहिए। भाषा न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है जो संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील है। न्यायिक भाषा संवैधानिक लोकाचार के प्रति संवेदनशील विवेक के लिए एक खिड़की है।

इसके

[2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कम संतुलन, भाषा मानव गरिमा के रक्षक के रूप में अपने प्रतीकवाद को खोने का जोखिम उठाती है। संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है। इसका आधार इतना ऊँचा है कि यह संविधान की बुनियादी विशेषताओं का एक हिस्सा है। फिर भी जिम्मेदारी का सत्ता सौंपने की प्रकृति और आयामों के साथ सीधा सह-संबंध होता है। ए डिग्री उच्च न्यायालय द्वारा सावधानी और सावधानी बरतने से उस प्रकृति की शिकायत को दूर किया जा सकता था जिसका तत्काल मामले में आग्रह किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई के दौरान मौखिक अवलोकन क्षण के साथ बीत गए हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। ईसी के पास होने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है

एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बोझ उठाता है।

[पैरा 42] [230-डी-जी]

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) 10

एस. सी. सी. 239: [2018] 11 एस. सी. आर. 57; काशी नाथ राय बनाम। राज्य

बिहार (1996) 4 एस. सी. सी. 539: [1996] 1 पूरक। एससीआर 558;

डॉ. रघुबीर सरन बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (1964)

2 एससीआर 336; ए. एम. माथुर बनाम। प्रमोद कुमार गुप्ता (1990)

2 एससीसी 533: [1990] 2 एससीआर 110; मोहिंदर सिंह गिल वी. मुख्य चुनाव आयुक्त। , (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2

एस. सी. आर. 272 का उल्लेख किया गया।

सिरोस बनाम। मूर [1975] क्यू. बी. 118-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 3 एससीआर 911

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1966] 3 एससीआर 744

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2018] 11 एससीआर 57

संदर्भित किया गया है

पैरा 22,28,35

[1959] एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1992] 3 एससीआर 595

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

(1908) 10 BOMLR 848

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

[1996] 1 पूरक। एससीआर 558

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

[1964] 2 एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[1990] 2 एससीआर 110

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 40 भारत के मुख्य चुनाव आयोग v. एम. आर. विजयभास्कर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1767

2021 से।

2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 10441 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2021 से। राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, पल्लवी बरुआ, प्रतीक कुमार, एकलव्य द्विवेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

प्रदीप कुमार यादव, सुश्री शिखा यादव, अभय सिंह यादव, संजीव मल्होत्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है:

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

B. उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

ग. कानूनी स्थिति और विश्लेषण

सी. 2 मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सी. 3

सार्वजनिक प्रवचन, मीडिया रिपोर्टिंग और न्यायिक जवाबदेही

C. 4 न्यायिक आचरण की स्वतंत्रता और बाधाएं

D. निष्कर्ष

1. छुट्टी दे दी गई।

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. इस अपील में दो संवैधानिक प्राधिकरणों की शक्तियों को संतुलित करने के एक नाजुक सवाल ने मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों के सूचना के अधिकार और राष्ट्र के प्रति न्यायपालिका की जवाबदेही के बड़े मुद्दों को उठाया है। सुनवाई के दौरान न्यायिक कार्यवाही करने और बातचीत में शामिल होने के लिए एक न्यायाधीश का अधिकार और न केवल निर्णय बल्कि न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता चर्चा के लिए सामने आई है। न्यायिक आचरण

की रूपरेखा क्या हैं? सूचना के निर्बाध प्रवाह द्वारा परिभाषित युग में अदालतों को किन चिंताओं के लिए जीवित होना चाहिए?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत में मीडिया किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? सब से ऊपर, ए में

नियंत्रण और संतुलन की एक शास्त्रीय योजना पर स्थापित संवैधानिक ढांचा, क्या एक संवैधानिक निकाय-इस मामले में भारत का चुनाव आयोग-एक याचिका स्थापित कर सकता है कि संवैधानिक स्थिति न्यायिक निरीक्षण से प्रतिरक्षा है? इनमें से प्रत्येक घटक को संबोधित किया जाएगा। निर्णय।

3. यह विशेष अनुमति याचिका 2 मद्रास में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 30 अप्रैल 2021 के एक आदेश से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका 3 पर विचार किया।

तमिलनाडु के 135-करूर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों में कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए संविधान। सुनवाई के दौरान, डिवीजन बेंच पर आरोप है कि उसने चुनाव के दौरान उचित कोविड-19 सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल को लागू करने में विफलता के कारण कोविड-19 के मामलों की संख्या में वर्तमान वृद्धि के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई ये मौखिक टिप्पणियां हैं, जिन पर चुनाव आयोग का आरोप है कि वे निराधार हैं और चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करती हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है।

4. 26 फरवरी 2021 को, निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी 4 की विधानसभाओं के लिए आम चुनावों की घोषणा की। तमिलनाडु राज्य में चुनावों के कार्यक्रम में 6 अप्रैल 2021 को मतदान और 2 मई 2021 को वोटों की गिनती शामिल थी। चुनाव की तैयारी करते समय, निर्वाचन आयोग ने 12 मार्च 20215 को सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को एक पत्र जारी किया, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया:

चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल। मतदान चरण के दौरान, निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल 20216 को राजनीतिक दलों को एक और पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि

कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और अन्य कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के मानदंडों का पालन उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया जा रहा था

राजनीतिक दल। इसने यह भी नोट किया कि यदि मानदंडों का उल्लंघन जारी रहता है, तो चुनाव आयोग सार्वजनिक बैठकों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा। आखिरकार, चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल 20217 के एक आदेश द्वारा रैलियों, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया

1 " ईसी "

2 " एसएलपी " 3 2021 का डब्ल्यू. पी. सं. 10441

4 प्रेस नोट नं. ई. सी. आई./पी. एन./16/21-5 पत्र संख्या 4/21/21/एस. डी. आर./वी. ओ. एल.-I 6 पत्र संख्या 4/21/एस. डी. आर./Vol.I

ए. आई. ए. डी. एम. के. 135-करूर विधानसभा क्षेत्र के लिए। दिया गया है। कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण, प्रतिवादी ने 16 अप्रैल 2021 को निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन भेजा था ताकि गणना केंद्रों में अधिकारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी और उपाय किए जा सकें। चूंकि कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोविड-19 के अनुसार प्रभावी कदम और व्यवस्था करके 2 मई 2021 को 135-करूर विधानसभा क्षेत्र में वोटों की निष्पक्ष गिनती सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की।

प्रोटोकॉल।

6. इस याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की। 26 अप्रैल 2021 को अदालत और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने निम्नलिखित शर्तों में एक आदेश पारित किया:

" 4. [.....] भले ही 6 अप्रैल, 2021 को इस राज्य में मतदान बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राजनीतिक दल चुनाव अभियानों और रैलियों के समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इस अदालत के बार-बार आदेशों के बावजूद, एक चुनाव याचिका पर लगभग हर आदेश के आधार पर एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह चल रहा है, कि अभियान के समय के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखा जाना चाहिए, इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करने का महत्व चुनाव आयोग पर खो गया होगा, चुनाव आयोग की ओर से मौन रहने के कारण क्योंकि प्रचार और रैलियां बिना दूरी के मानदंडों को बनाए रखे और प्रोटोकॉल की अन्य आवश्यकताओं की लापरवाही के साथ आयोजित की गई थीं।
5. दैनिक आधार पर मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए, हालांकि यह राज्य अभी तक कुछ अन्य राज्यों की तरह बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है, 2 मई, 2021 को वोटों की गिनती के समय अपनाए जाने वाले उपाय, जो लगभग एक सप्ताह दूर हैं, अब की गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले से ही योजना बनाई जानी चाहिए थी। किसी भी कीमत पर गिनती का परिणाम उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक और उछाल के लिए, राजनीति या कोई राजनीति नहीं, और क्या गिनती अलग-अलग तरीके से होती है या स्थगित की जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का सर्वोपरि महत्व है और यह दुखद है कि संवैधानिक इस संबंध में अधिकारियों को याद दिलाया जाना चाहिए। जब कोई नागरिक जीवित रहता है तभी उसे अन्य अधिकारों का लाभ मिलता है जिसकी गारंटी यह लोकतांत्रिक गणराज्य उसे देता है। स्थिति अब जीवित रहने की है।

और सुरक्षा और बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। 6. जहां तक करूर निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, यह चुनाव आयोग की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि दो हॉल, एक का माप लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर है। फुट और अन्य माप 4000 वर्ग मीटर से अधिक। फीट की व्यवस्था की गई है। अदालत के इस सवाल पर कि क्या ऐसे स्थान पर्याप्त होंगे यदि 77 उम्मीदवारों में से अधिकांश को गिनती के समय एजेंटों को नियुक्त करना था, चुनाव आयोग का दावा है

कि दो निर्दलीय उम्मीदवारों को छोड़कर सभी ने संकेत दिया है कि वे गिनती के समय किसी भी एजेंट को शामिल नहीं करेंगे और नौ प्रमुख राजनीतिक दलों में से केवल सात ने लिखित रूप में पुष्टि की है कि वे एजेंटों की नियुक्ति करेंगे। 7. ऐसे परिदृश्य में, चुनाव आयोग को उम्मीद नहीं है कि अगर दो निर्धारित हॉल में गिनती की जाती है तो कोविड प्रोटोकॉल और उचित उपाय नहीं किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि गिनती के लिए छह अतिरिक्त टेबल बनाए गए हैं।

आयोजित किया जाता है ताकि दूरी के मानदंडों को बनाए रखा जा सके।

8. इसी तरह के उचित उपायों को प्रत्येक गणना केंद्र पर अपनाया जाना चाहिए और यह केवल नियमित स्वच्छता, उचित स्वच्छता की स्थिति, मास्क पहनना अनिवार्य और अनिवार्य बनाए रखने पर है।

दूरी मानदंडों का पालन, क्या कोई गिनती शुरू होनी चाहिए या होनी चाहिए

जारी रखा। चुनाव आयोग और राज्य में जिम्मेदार मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य के स्वास्थ्य सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक से परामर्श किया जाना चाहिए, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।

तत्काल उपाय।

9. यह मामला 30 अप्रैल, 2021 को स्थिति की समीक्षा के लिए सामने आएगा, जब चुनाव द्वारा सभी गणना केंद्रों पर पर्याप्त कदम उठाए जाने की पूरी तस्वीर का संकेत दिया जाना चाहिए।

आयोग। [.....] ”

7. सुनवाई के दौरान, यह आरोप लगाया जाता है कि उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग "वह संस्थान है जो कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए एकमात्र रूप से सक्षम है" और यह कि निर्वाचन आयोग भारत का मुख्य चुनाव आयोग v.

एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" हत्या के आरोप लगाए जाने चाहिए। ये टिप्पणियां, हालांकि नहीं

उच्च न्यायालय के आदेश का एक हिस्सा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और टेली मीडिया में रिपोर्ट किया गया था।

8. 27 अप्रैल 2021 को एक व्यक्ति ने श्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सुदीप जैन, उप चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों ने खारदह पुलिस स्टेशन, कोलकाता में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 269,270 और 304 के तहत कार्रवाई की। शिकायत में मद्रास उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल 2021 के आदेश का कोई संदर्भ नहीं है।

9. मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष, निर्वाचन आयोग ने एक जवाबी-हलफनामा दायर किया

महामारी को देखते हुए जारी किए गए आदेशों और चुनाव प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण। निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित राहतों के लिए एक विविध आवेदन भी दायर किया:

" [.....]

29. ..... यह माननीय न्यायालय एक आदेश पारित करके प्रसन्न हो सकता है अंतरिम निर्देश यह निर्देश देते हुए कि केवल वही जो इसका हिस्सा है

वर्तमान कार्यवाही में अभिलेख डब्ल्यू. पी. सं. 10441/2021 है

प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाना और

इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करें और इस प्रकार प्रदान करें न्याय।

30. इन परिस्थितियों में, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय

अंतरिम निर्देश का आदेश पारित करने में खुशी हो सकती है

निर्देश देते हुए कि पुलिस अधिकारी किसी को भी पंजीकृत नहीं करेंगे

के आधार पर हत्या के अपराध के लिए एफ. आई. आर./शिकायत

इसके लिए जिम्मेदार मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्ट

डब्ल्यू. पी. सं. 10441/2021 के संबंध में माननीय न्यायालय और इस प्रकार

न्याय प्रदान करें "।

(जोर दिया गया)

10. मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 पर इस मामले की फिर से सुनवाई की।

अप्रैल 2021 में जब उच्च न्यायालय ने 2 मई 2021 को वोटों की गिनती के समय विशेष रूप से 135 करूर निर्वाचन क्षेत्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों को देखते हुए याचिका का निपटारा किया। इस आदेश के आलोक में विविध आवेदन को भी बंद कर दिया गया था।

9 2020 की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की 9 डब्ल्यू. एम. पी. संख्या 12062 और 12065

11. 30 अप्रैल 2021 के आदेश से व्यथित होकर निर्वाचन आयोग ने संपर्क किया है यह न्यायालय। शिकायत यह है कि इसके विविध आवेदन का मूल्यांकन गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है और पिछली सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों के संबंध में इसकी शिकायत का समाधान नहीं किया गया है।

B. उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

12. इस अदालत के समक्ष चुनाव आयोग ने 30 तारीख के आदेश को चुनौती दी है अप्रैल 2021। पहले के आदेश को चुनौती देने के लिए संशोधन के लिए एक आई. ए. दायर किया गया है, जो अब अंतिम आदेश में विलय हो गया है। अंतरिम राहत के रूप में, 30 अप्रैल 2021 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, इसके अलावा एक अंतर्वर्ती निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित राहत मांगी गई है:

" ख) निर्देश दें कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। इस संबंध में भारत के चुनाव आयोग के अधिकारी

श्रीमती द्वारा दर्ज की गई दिनांकित 27.04.2021 की शिकायत के साथ। नंदिता

सिन्हा प्रभारी अधिकारी, खरदाह पुलिस थाने के समक्ष,

कोलकाता (अनुलग्नक-पी/19) "

(जोर दिया गया)

13. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील जो पेश हुए श्री अमित शर्मा ने निर्वाचन आयोग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया:

((i) उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से अपमानजनक नहीं होना चाहिए था

यह टिप्पणी कि ई. सी. वह संस्था है जो

कोविड की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार

19 " और यह कि ई. सी. को हत्या के लिए खड़ा किया जाना चाहिए

शुल्क ":

(क) इन टिप्पणियों की प्रकृति के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है

उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद, जो संबंधित है

135-करूर में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र;

उसके द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करने का अवसर कोविड-19 प्रोटोकॉल का रखरखाव और इसकी कोई सूचना नहीं थी

कि अभियान के दौरान चुनाव का संचालन होगा

सुनवाई के दौरान ध्यान दें; भारत के प्रमुख चुनाव आयोग v. एम. आर. जयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(घ) उच्च न्यायालय ने अपमानजनक मौखिक टिप्पणियां की हैं।

सबूत या सामग्री के बिना; और

(ई) उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा दायर विविध आवेदन को संबोधित किए बिना रिट याचिका का निपटारा किया;

उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था

((ख)

मीडिया में और एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में चुनाव आयोग की छवि को धूमिल किया है। इन टिप्पणियों ने चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास कम किया है और उसे कमजोर किया है

अपने संवैधानिक अधिकार की पवित्रता;

(iii) मामलों में निर्वाचन आयोग पर न्यायिक समीक्षा का दायरा

चुनाव के संचालन से संबंधित सीमित है और अदालतों को चुनाव आयोग या चुनावी प्रक्रिया के बारे में टिप्पणियां करते समय संयम बरतना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र में आता है।

एक अन्य विशेषज्ञ संवैधानिक प्राधिकरण का;

(iv) चुनाव आयोग ने इस दौरान विभिन्न राज्यों में चुनाव कराए थे।

महामारी और कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे। वास्तविक प्रवर्तन जमीनी स्तर पर प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपाय राज्य तंत्र के हाथों में हैं। चुनाव आयोग चुनावों के दौरान भी राज्यों द्वारा शासन नहीं लेता है और इसके पास सीमित संख्या में कर्मी होते हैं।

(v)

जब तमिलनाडु में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था फरवरी 2021 में और चुनाव प्रचार के दौरान (जो

4 अप्रैल 2021 को समाप्त), कोविड-19 के मामलों की संख्या नियंत्रण में थी और आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि चुनाव उछाल का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं थे

मामलों में। महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां चुनाव नहीं हुए थे, वहां भारी बारिश हुई है।

मामलों में वृद्धि;

(vi) चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश तैयार किए थे।

महामारी के दौरान और चुनाव प्रचार के दायरे को सीमित कर दिया था;

(vii) मौखिक सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की टिप्पणियों, जो लिखित न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, ने निर्वाचन आयोग के प्रति अनुचित पूर्वाग्रह पैदा किया है; [2021] 5 एस. सी. आर.

(viii) मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालती कार्यवाही की सटीक रिपोर्टिंग हो और कार्यवाही को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास कम हो जाए। दिशा-निर्देश और

अदालत को रिपोर्ट करने के तरीके पर दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए।

कार्यवाही;

(ix) अदालती कार्यवाही के संचालन और मीडिया की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्टिंग जो बताती है कि एक अदालत ने किसी पर भी आक्षेप लगाया है

व्यक्ति या पदाधिकारी गलत है; और

(x) यद्यपि न्यायालय के विचार इसके माध्यम से प्रतिबिंबित होते हैं

न्यायाधीशों के निर्णय, मौखिक टिप्पणियों को मुख्यधारा के मीडिया में उद्धृत किया जाता है जो एक धारणा दे सकते हैं

संस्थागत राय। यह न्यायिक सीमाओं को पार करता है।

औचित्य।

14. प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, श्री प्रदीप कुमार यादव,

कैविएट पर प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए, इस तथ्य पर जोर दिया कि चुनाव आयोग को चुनाव के समय राज्य में व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों को तैनात करने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों जैसे अधिकारियों को निलंबित करने या बदलने की शक्तियां शामिल हैं।

पुलिस महानिदेशक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार, चुनाव आयोग चुनावों के दौरान कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था। 15. अब हम इस मामले में उठाए गए मुद्दों के दृष्टिकोण से वकील की दलीलों पर विचार करेंगे।

ग. कानूनी स्थिति और विश्लेषण

17. शुरू में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर उल्लिखित दूसरी प्रार्थना पूरी तरह से गलत थी। अगर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई है कोलकाता, पीड़ित व्यक्ति को भारत के मुख्य चुनाव आयोग की संहिता v के तहत उपचार का सहारा लेना पड़ता है।

एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

18. अब हमें इस मामले के केंद्र से निपटना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग द्वारा उठाई गई पहली प्रार्थना है-उस पर संयम की मांग करना। अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर मीडिया। इसके आवेदन का आधार यह था कि आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड के हिस्से के अलावा कुछ भी नहीं बताया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की यह प्रार्थना संविधान के तहत गारंटीकृत दो मौलिक सिद्धांतों-खुली अदालत की कार्यवाही और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रहार करती है।

C. 1 खुले न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका

19. न्यायालय भौतिक और रूपक दोनों अर्थों में खुले होने चाहिए। बाल यौन शोषण या बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों जैसे मामलों की एक असाधारण श्रेणी में इन-कैमरा कार्यवाही को छोड़कर

वैवाहिक गोपनीयता के मामलों से संबंधित वैवाहिक कार्यवाही, हमारी कानूनी प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि मूल्यवान संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए अदालतों तक खुली पहुंच आवश्यक है। एक खुले की अवधारणा

न्यायालय के लिए आवश्यक है कि न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होनी चाहिए। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान क्या होता है। अदालत में बातचीत उस तरीके को इंगित करती है जिसमें न्यायिक कार्यवाही की संरचना की जाती है। मौखिक तर्क विचारों के खुले आदान-प्रदान पर आधारित होते हैं। इस तरह के आदान-प्रदान के माध्यम से ही कानूनी तर्कों का परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। अदालत के समक्ष संबोधित तर्क, विरोधी वकील की प्रतिक्रिया और अदालत द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे मामले हैं जिन पर नागरिकों को सूचित किए जाने का वैध अधिकार है। एक खुली अदालत की कार्यवाही यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के अधीन है। सार्वजनिक जांच महत्वपूर्ण है

पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना। लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता उन पर जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य 1 में, सहमत राय में कहा गया है:

" ..... भले ही प्रेस मौजूद हो, अगर जनता के अलग-अलग सदस्यों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाता है, तो कार्यवाही को खुली अदालतों में चलने के लिए नहीं माना जा सकता है। एक "खुली अदालत" एक अदालत है जिसके लिए आम जनता उपस्थित होती है।

10 (2010) 4 एस. सी. सी. 653 [2021] 5 एस. सी. आर.

जनता को प्रवेश पाने का अधिकार है और अदालत में प्रवेश करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को अदालत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

न्यायिक कार्यवाही का संचालन "।

20. एक खुली अदालत प्रणाली के कई तरीके हैं

लोकतंत्र के काम में योगदान देता है। एक खुली अदालत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ कार्य करें। आर बनाम सोशलिस्ट वर्कर प्रिंटर्स में लॉर्ड विडगरी की टिप्पणी, पूर्व अटॉर्नी जनरल "न्यायाधीश के आचरण पर सार्वजनिक सुनवाई की भूमिका को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

" अदालतों में जनता होने का सबसे बड़ा गुण यह है कि अनुशासन जो जनता की उपस्थिति अदालत पर लगाती है

स्वयं। जब न्यायालय जनता के इच्छुक सदस्यों से भरा होता है।

इसका प्रभाव होना तय है जिसके बारे में हर कोई अधिक सावधान है

वे क्या करते हैं, हर कोई बस थोड़ा कठिन प्रयास करता है और वहाँ है

न्यायालय पर अनुशासनात्मक प्रभाव जिसका पूरी तरह से अभाव होगा यदि

जनता या प्रेस का कोई आलोचनात्मक सदस्य मौजूद नहीं था।

जब किसी के पास कैमरे में मुकदमे का आदेश होता है, तो सभी जनता और प्रेस को एक ही झटके में बेदखल कर दिया जाता है और पूरे पर्यवेक्षण द्वारा

जनता चली गई है। "

21. सार्वजनिक जांच प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक

चर्चा और आलोचना एक न्यायाधीश के आचरण पर एक प्रतिबंध के रूप में काम कर सकती है। नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य में अपनी असहमति वाली राय में, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा कि कैसे एक खुली अदालत जनता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

न्यायिक आचरण का मूल्यांकन:

" 129. [.....] कारणों की खुली अदालत में सुनवाई सबसे अधिक होती है।

न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने का महत्व: यह एक स्वस्थ जाँच के रूप में काम करता है

न्यायिक व्यवहार के साथ-साथ प्रतिवाद के आचरण पर

पक्षकार और उनके गवाह। 22. अदालतों के समक्ष मामले सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में। एक खुला कोर्ट एक शैक्षिक उद्देश्य भी पूरा करता है। अदालत एक मंच बन जाती है

11 1 1 [1974] 3 डब्ल्यूएलआर 801 12 (1966) 3 एस. सी. आर. 744, जिसे इसके बाद "मिराजकर" कहा जाता है।

13 13 कनलिफ एम्मा, "खुला न्याय: अवधारणाएँ और न्यायिक दृष्टिकोण "(2012) 40 फेड एल रेव 385।

भारत के प्रमुख चुनाव आयोग v. एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ताकि नागरिक यह जान सकें कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालता है। स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1 4, ए

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के महत्व पर जोर दिया। हममें से एक (जे. डी. वाई. चंद्रचूड़) ने तुलनात्मक दृष्टिकोण से इस मिसाल का विश्लेषण किया:

" 82. [.....] इन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, इस न्यायालय ने

एक साधन के रूप में खुले न्यायालय कक्षों के महत्व को मान्यता दी

जनता को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को देखने की अनुमति देना।

अदालती सुनवाई तक प्रत्यक्ष पहुंच जनता और वादियों को सक्षम बनाती है।

न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच संवाद देखने के लिए

और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में एक सूचित राय बनाना। 83. हमारे देश में खुली अदालतों का प्रभाव कम हो गया है

तथ्य यह है कि समाज के एक बड़े वर्ग को शायद ही कभी अवसर मिलता है

अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए। यह गरीबी जैसी बाधाओं के कारण है, निरक्षरता, दूरी, लागत और अदालत के बारे में जागरूकता की कमी

कार्यवाही। वादी वकीलों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करते हैं। सुनवाई के दौरान क्या हुआ है। अन्य,

जो मुकदमेबाजी में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकता है, निर्भर करता है

न्यायिक निर्णयों के बारे में दी गई जानकारी पर

समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जब मामलों का विवरण सटीक और व्यापक है, यह

खुले न्याय के कारण की सेवा करता है। हालांकि, अगर एक पर एक रिपोर्ट

न्यायिक सुनवाई गलत है, यह जनता के अधिकार को बाधित करती है

व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन से हटा दिया गया। यह है। असंगत क्योंकि अदालतें मुख्य रूप से न्याय प्रदान करने के लिए मौजूद हैं

उन्हें "।

(जोर दिया गया)

23. हालांकि, खुले नियम के कुछ अपवाद हैं।

भारत में अदालतें। मिराजकर (ऊपर) में, मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर ने कहा:

" 21. ..... सार्वजनिक मुकदमे के महत्व पर जोर देते हुए, हम ऐसा नहीं कर सकते।

इस तथ्य को नजरअंदाज करें कि न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य करना है

उन पक्षों के बीच न्याय जो अपने मुद्दों को इसके सामने लाते हैं। यदि ए.

एक कारण का परीक्षण करने वाले न्यायाधीश को इस बात का संतोष होता है कि निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य ही

14 (2018) 10 एस. सी. सी. 639, जिसे इसके बाद "स्वप्निल त्रिपाठी" सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के रूप में संदर्भित किया गया है।

21] 5 एस सी आर।

यदि गवाहों को सार्वजनिक दृष्टि के अधीन साक्षय देने की आवश्यकता होती है, तो मामले में सच्चाई मंद हो जाएगी, या पराजित भी हो जाएगी, क्या यह आंशिक रूप से या पूरी तरह से कैमरे में मुकदमा आयोजित करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसके लिए खुला है या नहीं है? यदि न्यायालय का प्राथमिक कार्य उसके समक्ष लाए गए कारणों में न्याय करना है, तो सैद्धांतिक रूप से, इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल है कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता है कि सभी कारणों का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाना चाहिए। यदि सिद्धांत

जो भी हो, ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां सिद्धांत का पालन करने से न्याय को ही पराजित किया जा सकता है। यही कारण है कि हम यह मानने में कोई संकोच महसूस नहीं करते हैं कि उच्च न्यायालय के पास कैमरे में मुकदमा चलाने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है यदि न्याय के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से और आवश्यक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह के पाठ्यक्रम। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि इस अंतर्निहित शक्ति का उपयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और यह केवल तभी है जब अदालत को संदेह से परे संतुष्ट किया जाता है कि यदि किसी मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जाती है तो न्याय के उद्देश्य खुद ही विफल हो जाएंगे।

यह कैमरे में परीक्षण आयोजित करने का आदेश पारित कर सकता है।

निजता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, उदाहरण के लिए, एक यौन हमले के मामले में, अदालत की प्रक्रिया की सार्वजनिक जांच एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना हुआ है लोकतंत्र की कार्यप्रणाली।

सी. 2 मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

24. संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। छह दशक पहले, में

1958 , एक्सप्रेस अखबार (पी) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

लिमिटेड बनाम भारत संघ ", ने समझाया कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) इसके भीतर, निहित रूप से, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार रखेगा। न्यायालय ने कहा:

" सभी स्वतंत्रताओं की तरह, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता और लोगों के लिए स्वतंत्रता। एक स्वतंत्र प्रेस मजबूरियों से मुक्त है

जो भी स्रोत हो, सरकारी या सामाजिक, बाहरी या

एक मृत अवस्था को छोड़कर प्रेस दबाव से मुक्त हो सकता है। प्रतिस्पर्धी ताकतों और मान्यताओं से खाली समाज। ये

15 1959 एस. सी. आर. 12 भारत के मुख्य चुनाव आयोग v. एम. आरविजयभास्कर [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दबाव, हालांकि, अगर वे लगातार और विकृत हैं

— के रूप में

वित्तीय, लिपिक, लोकप्रिय, संस्थागत दबाव बन सकते हैं दृष्टिकोण मजबूरी; और फिर प्रभावी से कुछ खो जाता है

स्वतंत्रता जिसे बहाल करने के लिए प्रेस और उसकी जनता को एकजुट होना चाहिए।

यह प्रेस सेवा के उन लक्षयों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है जिनके अपने आदर्श और समुदाय की आवश्यकताएँ हैं

संयोजन और कौन सी मौजूदा तकनीकें संभव बनाती हैं। इनके लिए

अंत में, इसमें तकनीकी संसाधनों की पूरी कमान होनी चाहिए, वित्तीय शक्ति, घर पर सूचना के स्रोतों तक उचित पहुंच

और विदेशों में, और जानकारी लाने के लिए आवश्यक सुविधाएं

राष्ट्रीय बाजार में। प्रेस को इस हद तक बढ़ना चाहिए कि

यह बाजार "।" " "

(जोर दिया गया)

25. संविधान मीडिया को सूचना देने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है,

जानकारी देने और सभी के बारे में विचार और राय व्यक्त करने के लिए

रुचि रखने वाले। स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति नियामक के अधीन है

अनुच्छेद 19 (2)। एल. आई. सी. बनाम मनुभाई डी. शाह में निर्णय

च.) 16 इन विचारों को विकसित करता है:

..... प्रिंट मीडिया, रेडियो और छोटे पर्दे की भूमिका है

सार्वजनिक शिक्षक, एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक की जीवन रेखा है।

संस्थान और इस अधिकार को दबाने, गला घोंटने या बंद करने का कोई भी प्रयास

यह लोकतंत्र के लिए एक मौत की घंटी होगी और इसे लागू करने में मदद करेगी।

निरंकुशता या तानाशाही। यह नहीं कहा जा सकता है कि आधुनिक

संचार माध्यम सूचना देकर जनहित को आगे बढ़ाते हैं

घटित घटनाओं और घटनाक्रमों को सार्वजनिक करना और इस प्रकार मतदाताओं को शिक्षित करना, एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है

लोकतंत्र का जीवंत कार्यकरण। इसलिए, किसी भी व्यवस्था में,

लोकप्रिय उपभोग के लिए समाचार और विचार आवश्यक हैं। इसे अस्वीकार करने के प्रयास को तब तक अस्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह

यह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के दायरे में आता है।

यह इस प्रकार है कि एक नागरिक अपने विचारों के प्रचार के लिए

पत्रिकाओं में अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए प्रकाशित करने का अधिकार है, पत्रिकाएँ और पत्रिकाएँ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से

क्योंकि यह सर्वविदित है कि ये संचार चैनल

समाचारों और विचारों के महान प्रसारक हैं और बनाते हैं पाठकों के मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव और

दर्शक और महत्वपूर्ण पर जनमत को ढालने के लिए जाने जाते हैं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे "।

(जोर दिया गया)

26. बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रिपोर्टिंग तक फैली हुई है

नागरिकों के अधिकारों पर, लेकिन यह भी कि नागरिक किस हद तक कार्यपालिका से जवाबदेही तय कर सकते हैं, जिसका कर्तव्य कानून को लागू करना है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अदालतें सत्ता के मनमाने प्रयोगों पर रोक लगाने के लिए अपने अधिकार के प्रति ईमानदार रहें। ऐसा करने की नागरिकों की क्षमता का सीधा संबंध कार्यवाही के दौरान अदालत में क्या होता है, इसके बारे में जानकारी की निर्बाध उपलब्धता से है। यही मीडिया की कार्यवाही के बारे में टिप्पणी करने और लिखने की स्वतंत्रता का महत्व है। इस सिद्धांत को मैड्रिड में मान्यता दी गई थी मीडिया और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संबंधों पर सिद्धांत 1 7. पहला सिद्धांत इस प्रकार तैयार किया गया है:

प्रत्येक समाज की आवश्यक नींव में से एक है जो लोकतांत्रिक होने का दावा करता है। यह मीडिया का कार्य और अधिकार है

जानकारी एकत्र करना और जनता तक पहुँचाना और उस पर टिप्पणी करना न्याय का प्रशासन, जिसमें पहले, दौरान और दौरान के मामले शामिल हैं।

मुकदमे के बाद, निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन किए बिना। इस सिद्धांत को भारतीय न्यायशास्त्र के भीतर मान्यता प्राप्त है, जहाँ

मीडिया को कुछ सीमाओं के भीतर अदालतों के समक्ष चल रहे मुकदमेबाजी पर रिपोर्ट करने की पूरी स्वतंत्रता है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पक्षों के बीच न्याय पटरी से न उतरे।

27. मीडिया वर्षों से, से परिवर्तित हो गया है

मुद्रित रूप में समाचार पत्रों की प्रधानता, रेडियो प्रसारण तक,

टेलीविजन चैनल और अब, समाचार, विचारों के प्रसार के लिए इंटरनेट पर

17 ये सिद्धांत 40 प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञों और मीडिया प्रतिनिधियों के एक समूह द्वारा जारी किए गए थे, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स सेंटर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेज एंड लॉयर्स और यूनिसेफ की स्पेनिश समिति द्वारा बुलाई गई एक बैठक में मिले थे। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईसीजे। ओआरजी/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/1994/01 मैड्रिड

सिद्धांत-मीडिया पर-और-न्यायिक-स्वतंत्रता-प्रकाशन-1994-इंग।

पी. डी. एफ.> भारत के मुख्य चुनाव आयोग V. एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैले व्यापक दर्शकों के लिए विचार। सोशल मीडिया सहित इंटरनेट ने नया रूप ले लिया है और महत्वपूर्ण तरीकों से जानकारी प्रसारित करने के साधनों में क्रांति ला दी है। इस संक्रमण के हर चरण में, इस बारे में नए सवाल उठाए गए हैं कि अदालत की प्रक्रियाएं परिवर्तन के अनुकूल कैसे होंगी, ताकि अदालतों के समक्ष पक्षों के अधिकार और न्याय की प्रक्रियाएं प्रभावित न हों। हालाँकि, ये वैध चिंताएँ हैं, लेकिन वे कभी भी अदालतों के लिए विकसित प्रौद्योगिकी के साथ संलग्न नहीं होने का एक अच्छा पर्याप्त कारण नहीं होना चाहिए। प्रौद्योगिकी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को वर्णन से परे आकार दिया है। दुनिया इस गति से प्रौद्योगिकी के अनुकूल हो रही है जिसे सूचीबद्ध करना अक्सर मुश्किल होता है, और हमारे कई नागरिक कम उम्र से ही डिजिटल मूल निवासी बन रहे हैं। यह समझ में आता है कि वे समाचारों का सेवन करते समय मीडिया के आधुनिक रूपों, जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की ओर देखेंगे। समझा जा सकता है कि इसमें अदालतों के कामकाज के बारे में जानकारी भी शामिल होगी। इसलिए, मीडिया के नए रूपों को हमारे काम पर रिपोर्टिंग करने से रोकने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। यह इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए था कि इंग्लैंड और वेल्स के लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश ने

अदालती कार्यवाही पर रिपोर्ट करने के लिए लाइव टेक्स्ट-आधारित संचार के रूपों (ट्विटर सहित) के उपयोग के संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

> उचित प्रशासन के लिए हस्तक्षेप का खतरा नहीं है व्यक्तिगत मामले में न्याय। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे
>
> सजीव, पाठ-आधारित के उपयोग की अनुमति देने का स्पष्ट उद्देश्य संचार मीडिया को उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए होगा
>
> कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट। इस प्रकार, ए
>
> मीडिया का प्रतिनिधि या एक कानूनी टिप्पणीकार जो चाहता है
>
> लाइव का उपयोग करने के लिए, अदालत से पाठ-आधारित संचार ऐसा कर सकते हैं
>
> अदालत में आवेदन किए बिना।
>
> (जोर दिया गया)

28. हमारे न्यायालय ने स्वीकार करने के लिए अपनी विनम्र भूमिका निभाई है

प्रौद्योगिकी के विकास की तीव्र गति और इसे जारी रखने की हमारी आवश्यकता है। स्वप्निल त्रिपाठी (ऊपर) में कहा गया है:

18 डैनियल स्टेपनियाक, 'ऑडियो के लिए प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक पहुंच-दृश्य कवरेज और अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंगः सामान्य कानून क्षेत्राधिकार के लिए प्रभाव '12 विलियम एंड मैरी बिल ऑफ राइट्स जर्नल 791 (2004)

19 ' अभ्यास मार्गदर्शनः 'निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग' के उद्देश्यों के लिए अदालत से लाइव टेक्स्ट-आधारित संचार रूपों (ट्विटर सहित) का उपयोग यहां उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यायपालिका। यूके/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/जेसीओ/दस्तावेज़/मार्गदर्शन/एलटीबीसी

मार्गदर्शन-दिसम्बर-2011. पीडीएफ> [2021] 5 एस. सी. आर.

" ग. प्रौद्योगिकी और खुला न्यायालय

84. प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में, मामलों की सुनवाई और उनके परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिए केवल मीडिया पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी जीवन के सभी पहलुओं का एक अपरिहार्य पहलू बन गया है। इंटरनेट की पैठ और स्मार्ट फोन के उपयोग में वृद्धि ने हमारे संवाद करने के तरीके में क्रांति ला दी है। 31-3-2018 तक, भारत में कुल 1,1 मिलियन दूरसंचार ग्राहक और 493.96 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। [भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन

संकेतक जनवरी-मार्च, 2018। यहाँ उपलब्ध है: < HTTPS: //ट्राई करें। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/पी. आई. आर. पोर्ट 27062018 _ 0. पी. डी. एफ.>] प्रौद्योगिकी सार्वजनिक पहुंच को बढ़ा सकती है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है और मार्ग प्रशस्त कर सकती है राज्य संस्थानों के कामकाज में सक्रिय नागरिक भागीदारी के लिए। न्यायालयों को आभासी पहुंच के लिए भौतिक पहुंच से आगे बढ़कर खुले न्यायालयों के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता भी लेनी चाहिए।

एक नई वास्तविकता को स्वीकार करना उसके अनुकूल होने का सबसे निश्चित तरीका है। हमारे सार्वजनिक संवैधानिक संस्थानों को बेहतर प्रतिक्रियाएँ मिलनी चाहिए शिकायत करें।

सी. 3 सार्वजनिक प्रवचन, मीडिया रिपोर्टिंग और न्यायिक

जवाबदेही

29. जैसा कि हम मीडिया के मुद्दों और घटनाओं को रिपोर्ट करने और प्रसारित करने के अधिकारों को समझते हैं, जिसमें अदालत की कार्यवाही भी शामिल है जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, यह संदर्भित करना महत्वपूर्ण है कि यह केवल व्यक्तियों और संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करने का एक पहलू नहीं है।

30. इन कैमरा कार्यवाही के अपवाद के साथ, एक अदालत कक्ष एक सार्वजनिक स्थान है। अटॉर्नी जनरल बनाम लेवलर मैगज़ीन 20 में, लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा कि "खुले न्याय के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि अदालत को निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए।

कार्यवाही।" एक खुली अदालत और अपने सभी तरीकों से न्याय का पारदर्शी वितरण, अपने आप में एक अंत है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, प्रौद्योगिकी इस प्रयास में एक गतिवर्धक है, लेकिन इस विचार का अग्रदूत नहीं है। मीडिया रिपोर्टिंग ने औपचारिक अदालत के साथ-साथ काम किया है

लगभग एक शताब्दी तक चलने वाली प्रक्रियाएँ। औपनिवेशिक भारत में अदालती कार्यवाही,

20 [1979] ए. सी. 440 भारत के मुख्य चुनाव आयोग बनाम एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विशेष रूप से राजद्रोह के मुकदमे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्थल भी थे जहाँ औपनिवेशिक क्रूरता और अपमान को उजागर किया गया था। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के राजद्रोह के पहले मुकदमे पर व्यापक रिपोर्टिंग प्रक्रियात्मक कानूनों में भिन्नता और भारतीय विचाराधीन कैदियों को अधिकारों से वंचित करने को उजागर करने में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और जूरी के गैर-सर्वसम्मत फैसले के बावजूद उन्हें दोषी ठहराया गया। लोकमान्य के मर्मस्पर्शी शब्द, जबकि आदेश द्वारा सजा सुनाने की एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में दर्ज किए गए थे, उपनिवेश विरोधी प्रकाशनों द्वारा दूर-दूर तक प्रसारित किए गए थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया। ये शब्द संयोग से आज तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में उसी अदालत कक्ष के बाहर पट्टिका को भी सुशोभित करते हैं:

" जूरी के फैसले के बावजूद मैं कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। ऐसी उच्च शक्तियाँ हैं जो मनुष्यों और राष्ट्रों के भाग्य पर शासन करती हैं और यह प्रोविडेंस की इच्छा हो सकती है कि मैं जिस कारण का प्रतिनिधित्व करता हूं वह मेरे स्वतंत्र रहने की तुलना में मेरी पीड़ा से अधिक समृद्ध हो।

31. स्वतंत्रता के बाद, मौलिक संवैधानिक महत्व के मामलों ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक रिपोर्टिंग देखी है-जो केवल घोषणा पर रिपोर्ट नहीं करते थे निर्णय, लेकिन वकील और न्यायाधीशों की विचित्रताएँ भी। ये कथाएँ अब हमारे पेशे की विरासत के रूप में चली गई हैं और हमारे कानून के अध्ययन के लिए उपयोगी संदर्भ भी प्रदान करती हैं।

32. यद्यपि खुले न्यायालयों के मूल्य के संदर्भ में, न्याय

बचाव ने मिराजकर (ऊपर) में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित शब्दों में अदालती कार्यवाही के प्रचार पर जोर दिया था:

" न्याय की अदालत एक सार्वजनिक मंच है। यह प्रचार के माध्यम से है कि नागरिक आश्वस्त हैं कि अदालत न्याय भी प्रदान करती है, और इसलिए, यह आवश्यक है कि मुकदमा जनता के लिए खुला होना चाहिए और अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रचार न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास पैदा करता है। हेगेल ने अपने अधिकार के दर्शन में कहा कि न्यायिक कार्यवाही सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य न्याय है, जो सभी के लिए सार्वभौमिक है।

33. प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं

सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रसार करें जो वास्तविक समय में अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं

21 सम्राट बनाम। बालगंगाधर तिलक, (1908) 10 BOMLR 848 (बॉम्बे उच्च न्यायालय)

बहुत व्यापक दर्शकों के लिए। जैसा कि हमने पिछले खंड में चर्चा की है, यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार है कि

मीडिया के पास है। यह ओपन कोर्ट का एक 'आभासी' विस्तार है। यह घटना आशंका का कारण नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है जो न्यायपालिका की अखंडता को मजबूत करता है।

अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, यूके सुप्रीम कोर्ट, यूके की अपील कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सहित दुनिया भर की कई अदालतें लाइवस्ट्रीमिंग या अन्य उपयुक्त ओपन एक्सेस पद्धति के माध्यम से कार्यवाही के सार्वजनिक दर्शकों को सक्षम बनाती हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में न्याय के वितरण में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया है। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए यह प्रतिगामी होगा कि वह एक ओर कानून के शासन और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दे और दूसरी ओर कार्यवाही की रिपोर्टिंग को रोककर उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के दैनिक कार्यों को मीडिया से उसके सभी रूपों में बचाए।

C. 4 न्यायिक आचरण की स्वतंत्रता और बाधाएं

34. निर्वाचन आयोग की शिकायत मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित आदेश से उतनी नहीं उठती, जितनी मौखिक आदेश से उठती है।

कार्यवाही में वास्तव में क्या हुआ और जो सटीक टिप्पणियां की गईं। जब तक अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण और अभिलेखन दिन की रोशनी नहीं देखता (स्वप्निल त्रिपाठी (ऊपर) में निर्णय के बाद से तीन साल बीत चुके हैं) मौखिक कार्यवाही के रिकॉर्ड का अभाव प्रणाली को खराब करता रहेगा। हालांकि, चुनाव आयोग जैसे एक संवैधानिक प्राधिकरण ने अपने हलफनामे में शपथ पर मौखिक टिप्पणी की है। इन पर प्रत्यर्थी द्वारा विवाद नहीं किया गया है। मौखिक टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार मिला है। उच्च न्यायालय के स्वतंत्र संवैधानिक दर्जे के सम्मान में, हमें उच्च न्यायालय के महापंजीयक से पुष्टि करने वाली रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। 35. कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे गणराज्य की आधारशिला है। स्वतंत्रता का अनुवाद है

निष्पक्ष होना, पक्षपात से मुक्त होना और सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों से अप्रभावित होना, लेकिन भारत के मुख्य चुनाव आयोग v के सुस्थापित सिद्धांतों की रूपरेखा के भीतर अदालती कार्यवाही करने की न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को भी मान्यता देता है।

एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्राकृतिक न्याय। न्यायाधीशों को अपने कर्तव्य के पालन में अपने पद की शपथ के प्रति वफादार रहना चाहिए, जिसके लिए उन्हें संविधान के प्रति निष्ठा रखने की आवश्यकता होती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने कार्यों (और चूक) में जनता के प्रति जवाबदेह हो।

36. जिस तरह से न्यायिक कार्यवाही का संचालन किया जाता है, विशेष रूप से हमारे उच्च न्यायालयों में, वह प्रत्येक न्यायाधीश के लिए अद्वितीय है और न्याय के वितरण में बहुत महत्वपूर्ण है। मौखिक सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाए गए मुद्दे या की गई टिप्पणियां न केवल मामले पर निर्णय लेने वाले न्यायाधीशों को स्पष्टता प्रदान करती हैं, बल्कि वकीलों को विचारों की सहजता पर आधारित रचनात्मकता की भावना के साथ अपने तर्कों को विकसित करने का भी अवसर देती हैं। कई बार, न्यायाधीश शैतान के वकील की भूमिका निभाते हैं।

जवाब मांगने के लिए वकील जो मामले की समग्र समझ में सहायता करता है और उनके सामने दिए गए तर्कों की ताकत का परीक्षण करता है। यही वह जगह है जहाँ वकालत की वास्तविक कला खेल में आती है। न्यायालय के आदेश या निर्णय को प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया और विरोधी पक्षों की प्रस्तुतियों पर न्यायाधीश के दिमाग के अनुप्रयोग का संकेत देना चाहिए।

37. न्यायिक पृष्ठभूमि की विविधता निर्णयों में बहुभाषिकता लाती है और इसने स्वतंत्रता के बाद से सात दशकों से अधिक समय तक हमारे न्यायशास्त्र को समृद्ध किया है। प्रत्येक न्यायाधीश के लिए अंतर्निहित मानवता उन्हें पूर्ण न्याय करने के लिए कानून की भाषा को पार करने की अनुमति देती है। न्याय करने के प्रयास में और न्यायालय में खुले विचार-विमर्श के दौरान,

प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और अवलोकन किए जा सकते हैं ताकि कानून के आधार पर एक स्वीकार्य परिणाम पर पहुंचने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना लेकिन जो न्याय के अनुरूप हो। सुनवाई के दौरान अवलोकन एक निर्णय या बाध्यकारी निर्णय नहीं है। वे सबसे अच्छे अस्थायी दृष्टिकोण हैं, जिन पर संघर्ष में पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दृष्टिकोण न्यायाधीश को अंतिम परिणाम पर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। विचारों, दृष्टिकोण और सूत्रीकरण का यह आदान-प्रदान एक ऐसे समाधान की दिशा में विकसित होने का एक हिस्सा है जो कानून के अनुसार न्याय के अनुरूप हो। बेंच से विचारों का आदान-प्रदान खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए आंतरिक है।

न्याय करते हैं। न्यायाधीशों के दिमाग का खुलासा विरोधी पक्षों को उन्हें अपने दृष्टिकोण के लिए मनाने में सक्षम बनाता है। यदि इस अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लॉर्ड डेनिंग के रूप में

एम. आर. सिरोस बनाम मूर 22 में देखा गया:

" इस देश के न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश-उच्चतम से लेकर निम्नतम तक-को समान स्तर तक संरक्षित किया जाना चाहिए, और इसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए -

21] 5 एस सी आर।

एक ही डिग्री। यदि इस प्रतिरक्षा का अंतर्निहित कारण यह सुनिश्चित करना है कि 'वे विचार में स्वतंत्र और निर्णय में स्वतंत्र हो सकते हैं', तो यह प्रत्येक न्यायाधीश पर लागू होता है, चाहे उनका पद कुछ भी हो। हर एक को होना चाहिए

जब वह न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो तो उसे नुकसान के दायित्व से संरक्षित किया जाता है। प्रत्येक को पूर्ण स्वतंत्रता से अपना काम करने में सक्षम होना चाहिए और

भय से मुक्त। उसे अपनी काँपती हुई उंगलियों से अपनी किताबों के पन्ने नहीं मोड़ने चाहिए, खुद से पूछना चाहिए: ' अगर मैं ऐसा करता हूं, तो क्या मैं नुकसान के लिए उत्तरदायी होऊंगा? ' जब तक वह अपना काम ईमानदारी से इस विश्वास के साथ करता है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में है, तब तक वह किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। वह वास्तव में गलत हो सकता है। वह कानून में अज्ञानी हो सकता है। वह जो करता है वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकता है-वास्तव में या कानून में-लेकिन जब तक वह ईमानदारी से मानता है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में है, तब तक उसे उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। एक बार जब वह ईमानदारी से इस विश्वास को स्वीकार कर लेता है तो और कुछ भी उसे उत्तरदायी नहीं बनाएगा। वह आरोपों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए

द्वेष या दुर्भावना या पूर्वाग्रह या इस तरह की कोई भी चीज़। इस तरह के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है और जारी रहेगी। कुछ भी उसे उत्तरदायी नहीं बनाएगा सिवाय इसके कि यह दिखाया जाए कि वह न्यायिक रूप से कार्य नहीं कर रहा था, यह जानते हुए कि उसके पास करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

यह "।

इस न्यायालय को न्यायिक अभिलेखों से प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से संबंधित मामले से निपटने का भी अवसर मिला है। काशी नाथ राय बनाम बिहार राज्य 2 3. दोनों न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कहा गया है:

" 7. यह नहीं भुलाया जा सकता है कि हमारी प्रणाली में, अन्य जगहों की तरह, अपीलीय और पुनरीक्षण अदालतों की स्थापना की गई है

यह धारणा कि निचली अदालतें कुछ मामलों में तथ्यों और कानून दोनों पर निर्णय लेने में गलत होंगी, और

उन आदेशों को ठीक करने के लिए उन्हें बुना गया है। न्यायसंगत ठहराने में मानवीय तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व होने के नाते, कंप्यूटर जैसे कामकाज की अदालतों से उम्मीद नहीं की जा सकती है; वे कितनी भी कोशिश करें और खुद को पूर्ववर्ती बनाए रखें-पददलित

विवेचनाओं के दायरे में और निर्णय लेने के तरीके में।

जब भी ऐसी किसी असहनीय त्रुटि का पता चलता है या

एक उच्च न्यायालय को बताया गया, यह कार्यात्मक रूप से आवश्यक है

उस त्रुटि को ठीक करने के लिए और हो सकता है, यहाँ और वहाँ, एक उचित मामला, और उचित तरीके से, न्यायालय की गरिमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, व्यक्त करता है

23 (1996) 4 एस. सी. सी. 539 भारत के मुख्य चुनाव आयोग v. एम. आरविजयभास्कर [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संबंधित अधिकारी को अपने निर्णय में इसका संदेश

तर्क की एक प्रक्रिया, अनिवार्य रूप से प्रेरक, उचित,

मधुर लेकिन स्पष्ट, और परिणाम-उन्मुख, लेकिन शायद ही कभी एक के रूप में

गाली देते हैं। पूर्व में प्रदर्शित प्रकार की तीव्र प्रतिक्रिया

निष्कर्षण संस्थागत कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है। आधार कि एक न्यायाधीश ने एक गलती या एक त्रुटि की है

सहिष्णुता की सीमाएँ, निंदा करने का कोई आधार नहीं है

न्यायाधीश-अधीनस्थ, जब तक कि कुछ और न हो और

असाधारण आधार "।

(जोर दिया गया)

डॉ. रघुबीर सरन बनाम बिहार राज्य और अन्य 2 4 में, यह

टी ने विशेष रूप से उच्च न्यायालयों को निचले स्तर के न्यायाधीशों को सक्षम बनाने की सलाह दी

स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने के लिए। मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव, तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए राजा ने टिप्पणी की:

उसके सामने साक्षय की प्रशंसा। द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश विज्ञान एक विशेष न्यायाधीश अपनी अंतर्निहित प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है

झूठ, अंग्रेजी की उनकी तुलनात्मक कमान

भाषा और उनकी अभिव्यक्ति का आनंद। कुछ नहीं है।

न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए अधिक हानिकारक

एक न्यायाधीश के मन में ऐसा सृजन करना जिसके अनुरूप उसे होना चाहिए

एक विशेष पैटर्न जो पसंद के अनुसार हो सकता है या नहीं भी हो सकता है अपीलीय न्यायालय से। कभी-कभी वह सीमा पार कर सकता है।

जब जनहित में टकराव होता है, तो कम लोगों को झुकना चाहिए

सबसे बड़ा। एक का अनुचित और अनुचित अपमान सामान्य हितों में गवाह को बर्दाश्त करना पड़ सकता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना। फिर भी, ए

न्यायिक अधिकारी पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह स्वयं को इससे विचलित न करे।

अपमानजनक और अयोग्य बनाकर न्याय का समान मार्ग

उन व्यक्तियों पर टिप्पणी जो उसके सामने गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं या

अन्यथा। अभिव्यक्ति में संयम उनके पद को गरिमा प्रदान करता है और न्यायपालिका के लिए अधिक सम्मान प्रदान करता है। लेकिन मौके आते हैं।

जब कोई विशेष न्यायाधीश, बिना किसी औचित्य के, निर्णय दे सकता है

एक गवाह या किसी अन्य व्यक्ति पर आक्षेप जो उसके सामने प्रभावित नहीं करता है

21] 5 एस सी आर।

ऐसे गवाह या व्यक्ति का चरित्र। ऐसी टिप्पणियाँ प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा या यहाँ तक कि व्यवसाय भी। मेरे अनुभव में

मुझे लगता है कि ऐसे मामले बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो मैं सहमत हूँ बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि अपीलीय न्यायालय ने

एक उपयुक्त मामला निचली अदालत की टिप्पणियों को न्यायिक रूप से सही कर सकता है।

अदालत ने यह इंगित करते हुए कि उस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ

उचित नहीं थे या बिना किसी आधार के थे या पूरी तरह से थे गलत या अनुचित "।

(जोर दिया गया)

38. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का कर्तव्य और

अदालत में न्यायाधीशों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुमति देना स्पेक्ट्रम का एक छोर है। स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह है कि न्यायाधीशों की शक्ति बेलगाम नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करने के लिए कठोर और तीखी भाषा का उपयोग करने से पहले न्यायिक संयम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ए. एम. माथुर बनाम प्रमोद कुमार गुप्ता 2 5, ए

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति के जगन्नाथ शेट्टी के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 13. न्यायिक संयम और अनुशासन आवश्यक है

निर्णय लेने में गुणवत्ता न्यायाधीशों के लिए उतनी ही आवश्यक है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सम्मान का आदेश देना

न्यायपालिका। बेहतर होगा कि इस संबंध में न्यायिक प्रतिबंध लगाया जाए।

न्यायिक सम्मान, अर्थात न्यायपालिका द्वारा सम्मान। उन लोगों का सम्मान करें

जो अदालत के साथ-साथ अन्य समन्वित शाखाओं में भी आते हैं

राज्य, कार्यपालिका और विधायिका। होना ही चाहिए। आपसी सम्मान। जब ये गुण विफल हो जाते हैं या जब वादी और

जनता का मानना है कि न्यायाधीश इन गुणों में विफल रहे हैं, यह होगा

न तो न्यायाधीश के लिए अच्छा है और न ही न्यायिक प्रक्रिया के लिए।

14. न्यायाधीश की पीठ शक्ति का एक स्थान है। न केवल न्यायाधीश करते हैं

बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है, उनके निर्णय वैध हैं

अन्य अधिकारियों द्वारा शक्ति का उपयोग। न्यायाधीशों के पास निरपेक्ष है

असंयमित टिप्पणियों द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए, वकीलों, पक्षों की अपमानजनक मजाक या तीखी आलोचना

25 (1990) 2 एस. सी. सी. 533 भारत के मुख्य चुनाव आयोग v. एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

या गवाह। हम स्वीकार करते हैं कि अदालत के पास अंतर्निहित शक्ति है

न्यायनिर्णयन के लिए उसके समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर अपनी खुद की दोषसिद्धि पर स्वतंत्र रूप से कार्य करना, लेकिन न्याय के उचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का एक सामान्य सिद्धांत है कि उन व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जिनके आचरण को ध्यान में रखा जाता है जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो।

उनके आचरण पर कार्रवाई करने के मामले के निर्णय के लिए "।

(जोर दिया गया)

39. इन दोनों उद्देश्यों को संतुलित करने में, उच्च न्यायालयों की भूमिका विशेष रूप से प्रासंगिक है। इस न्यायालय को उच्च न्यायालयों या निचली अदालतों को अनावश्यक रूप से फटकार लगाने के बीच संतुलन बनाना चाहिए, ताकि उनके स्वतंत्र कामकाज में बाधा न आए। इस अदालत को ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहिए जहां न्यायाधीशों ने सीमा का उल्लंघन किया है और न्यायिक औचित्य के मानदंडों का उल्लंघन किया है।

40. हमें दो स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरणों के अधिकारों को संतुलित करने का काम सौंपा गया है। एक ओर मद्रास उच्च न्यायालय है, जो एक संवैधानिक न्यायालय है और जिसे इस देश के न्यायिक ढांचे में उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 (और कुछ मामलों में मूल नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के रूप में) के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने में अपीलीय न्यायालयों और पहली बार के न्यायालयों के रूप में एक आंतरिक भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर उन नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होते हैं जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उच्च न्यायालय लगातार अपने अधिकार क्षेत्र में जमीनी वास्तविकताओं के संपर्क में रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, देश भर के उच्च न्यायालयों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में सराहनीय दूरदर्शिता दिखाई है।

मानवता को डूबने का खतरा है। जब वे वास्तविकता का सामना करते हैं तो उनकी पीड़ा को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर ईसी है, जो एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है

सात दशकों से अधिक समय तक उनके आसपास के आचरण को विनियमित करना। लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए इसकी स्वतंत्रता और अखंडता आवश्यक है। इस जिम्मेदारी में शक्तियाँ, कर्तव्य और असंख्य कार्य शामिल हैं जो 26 के लिए आवश्यक हैं। हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थानों में जीवन की सांस लेने का आवधिक अभ्यास करना।

26 मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त। , (1978) 1 एससीसी 405 [2021] 5 एस. सी. आर.

41. आज, न्यायालय को चुनाव आयोग के कार्यों की संवैधानिकता या वैधता निर्धारित करने के लिए नहीं कहा गया है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा आग्रह की गई विशिष्ट शिकायतों तक खुद को सीमित रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय को कोविड-19 के बढ़ते मामलों की स्थिति का सामना करना पड़ा था और एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। उच्च न्यायालय की टिप्पणी कठोर थी। रूपक अनुचित। उच्च न्यायालय-यदि वास्तव में उसने मौखिक टिप्पणियां की हैं जिनका उल्लेख किया गया है-तो उसने देश में कोविड-19 महामारी के लिए निर्वाचन आयोग को दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय इसका इरादा चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करना था।

42. यह कहने के बाद, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि न्यायाधीश खुले न्यायालय में अनौपचारिक टिप्पणियों में सावधानी बरतें, जो गलत व्याख्या के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती हैं। भाषा, बेंच पर और दोनों में

निर्णय न्यायिक औचित्य के अनुरूप होने चाहिए। भाषा न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है जो संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील है। न्यायिक भाषा संवैधानिक लोकाचार के प्रति संवेदनशील विवेक के लिए एक खिड़की है। अपने अल्पीकृत संतुलन के अभाव में, भाषा अपने संतुलन को खोने का जोखिम उठाती है

मानव गरिमा के रक्षक के रूप में प्रतीकवाद। संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है। इसका आधार इतना ऊँचा है कि यह संविधान की बुनियादी विशेषताओं का एक हिस्सा है। फिर भी जिम्मेदारी का सत्ता सौंपने की प्रकृति और आयामों के साथ सीधा सह-संबंध होता है। उच्च न्यायालय द्वारा कुछ हद तक सावधानी और सावधानी बरतने से उस प्रकृति की शिकायत को दूर किया जा सकता था जिसका वर्तमान मामले में आग्रह किया गया है। केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियाँ पल के साथ गुजर गए हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के पास एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने का ट्रैक रिकॉर्ड है जो चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बोझ उठाता है। हम आशा करते हैं कि मामला संतुलन की भावना के साथ आराम कर सकता है जिसे हमने लाने का प्रयास किया है।

43. ये मौखिक टिप्पणियां आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, और इसलिए, उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। यह कहना तुच्छ है कि किसी न्यायिक संस्थान की औपचारिक राय उसके निर्णयों और आदेशों के माध्यम से परिलक्षित होती है, न कि सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक टिप्पणियों के माध्यम से। इसलिए, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम भारत के मुख्य चुनाव आयोग v में कोई सार नहीं पाते हैं।

एम. आर. विजयभास्कर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग से रोकने के लिए चुनाव आयोग की प्रार्थना। यह न्यायालय अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक के रूप में खड़ा है। हम मानते हैं कि यह बोलने वालों, सुनने और सुने जाने की इच्छा रखने वालों और सबसे बढ़कर न्यायपालिका को संभालने में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।

उन मूल्यों के प्रति उत्तरदायी जो एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसके अस्तित्व को उचित ठहराते हैं।

D. निष्कर्ष

44. जिन कारणों का हमने संकेत दिया है, हम उपरोक्त शर्तों में अपील का निपटारा करते हैं।

45. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील का निपटारा किया गया।

निधि जैन